

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-5-04/2020/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19/02/2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर द्वारा जशपुर जिले के जशपुर वनमंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र तपकरा एवं पथलगांव में भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 4.245 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

- संदर्भ:- 1. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।
2. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-830/792, रायपुर दिनांक 27.04.2020 तथा पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-822/2403 रायपुर दिनांक 29.12.2020 एवं पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-822/291, रायपुर दिनांक 03.02.2021।

---000---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :-

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	जशपुर	जशपुर	पथलगांव	खड़ामाचा	आरक्षित वन	978	844.722	0.5	0.042
2			पथलगांव	खड़ामाचा	आरक्षित वन	982	1493.84	0.5	0.075
3			पथलगांव	खड़ामाचा	आरक्षित वन	986	458.791	0.5	0.023
4			पथलगांव	खड़ामाचा	आरक्षित वन	987	444.461	0.5	0.022
5			पथलगांव	बागबहार	आरक्षित वन	970	539.623	0.5	0.027
6			पथलगांव	बागबहार	आरक्षित वन	972	35.306	0.5	0.002
7			पथलगांव	बागबहार	आरक्षित वन	975	319.559	0.5	0.016
8			पथलगांव	कोतबा	आरक्षित वन	990	859.217	0.5	0.043
9			पथलगांव	लुडेग	आरक्षित वन	965	1669.04	0.5	0.083
10			पथलगांव	लुडेग	आरक्षित वन	966	1334.62	0.5	0.067
11			पथलगांव	लुडेग	आरक्षित वन	967	1949.47	0.5	0.097
12			तपकरा	घुमरा	आरक्षित वन	868	1219.51	0.5	0.061
13			तपकरा	कंदईबहार	आरक्षित वन	876	110.635	0.5	0.006

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
14	जशपुर	जशपुर	तपकरा	कंदईबहार	आरक्षित वन	878	1752.672	0.5	0.088
15			तपकरा	कंदईबहार	आरक्षित वन	910	1467.53	0.5	0.073
16			तपकरा	कोल्हेनझरिया	आरक्षित वन	904	1318.839	0.5	0.066
17			तपकरा	कोल्हेनझरिया	आरक्षित वन	905	1172.35	0.5	0.059
18			तपकरा	हाथीबेड़	आरक्षित वन	899	1568.46	0.5	0.078
19			तपकरा	हाथीबेड़	आरक्षित वन	900	86.618	0.5	0.004
20			तपकरा	पुराईनबंध	आरक्षित वन	879	5300	0.5	0.264
21			तपकरा	समडमा	आरक्षित वन	875	4674.82	0.5	0.234
22			तपकरा	सागजोर	आरक्षित वन	877	3293.8	0.5	0.165
23			तपकरा	दलटोली	आरक्षित वन	893	1501.63	0.5	0.075
24			तपकरा	फरसबाहार	आरक्षित वन	911	7562.413	0.5	0.38
25			तपकरा	फरसबाहार	आरक्षित वन	913	874.46	0.5	0.044
26			तपकरा	तपकरा	आरक्षित वन	858	989.565	0.5	0.05
27			तपकरा	तपकरा	आरक्षित वन	860	976.994	0.5	0.049
28			तपकरा	तपकरा	आरक्षित वन	862	4791.071	0.5	0.0238
29			तपकरा	तपकरा	आरक्षित वन	863	705.012	0.5	0.036
30			तपकरा	तपकरा	आरक्षित वन	864	861.019	0.5	0.043
31			तपकरा	तपकरा	आरक्षित वन	866	575.118	0.5	0.029
32			तपकरा	जामबहार	आरक्षित वन	867	2142.08	0.5	0.107
33			तपकरा	अंकीरा	आरक्षित वन	880	1271.94	0.5	0.064
34			तपकरा	अंकीरा	आरक्षित वन	881	921.854	0.5	0.046
35			तपकरा	अंकीरा	आरक्षित वन	882	1480.93	0.5	0.074
36			तपकरा	अंकीरा	आरक्षित वन	883	955.754	0.5	0.048
37			तपकरा	अंकीरा	आरक्षित वन	885	2886.669	0.5	0.143
38			तपकरा	गंझियाडीह	आरक्षित वन	897	1777.94	0.5	0.089
39			तपकरा	गंझियाडीह	आरक्षित वन	926	901.77	0.5	0.045
40			तपकरा	गारीघाट	आरक्षित वन	906	674.706	0.5	0.034
41			तपकरा	गारीघाट	आरक्षित वन	907	2515.645	0.5	0.126
42			तपकरा	गारीघाट	आरक्षित वन	908	1247.638	0.5	0.062
आरक्षित वन भूमि का योग							67528.090	0.5	3.377
43	जशपुर	जशपुर	पत्थलगांव	बागबहार	संरक्षित वन	P1014	1003.63	0.5	0.05
44			पत्थलगांव	कोतबा	संरक्षित वन	P1026	733.885	0.5	0.037
45			पत्थलगांव	रैरुमाकला	संरक्षित वन	P995	711.048	0.5	0.036
46			पत्थलगांव	लुडेग	संरक्षित वन	P1017	679.375	0.5	0.034
47			तपकरा	घुमरा	संरक्षित वन	P937	1492.62	0.5	0.075
48			तपकरा	सिंगीबहार	संरक्षित वन	P914	352.204	0.5	0.018

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
49	जशपुर	जशपुर	तपकरा	सिंगीबहार	संरक्षित वन	P914	349.728	0.5	0.017
50			तपकरा	हाथीबेड़	संरक्षित वन	P954	1440.57	0.5	0.072
51			तपकरा	पुराईनबंध	संरक्षित वन	P940	567.331	0.5	0.028
52			तपकरा	पुराईनबंध	संरक्षित वन	P918	823.894	0.5	0.041
53			तपकरा	सहसपुर	संरक्षित वन	P944	775.21	0.5	0.039
54			तपकरा	सहसपुर	संरक्षित वन	P951	1387.94	0.5	0.069
55			तपकरा	सहसपुर	संरक्षित वन	P955	282.698	0.5	0.014
56			तपकरा	फरसबाहार	संरक्षित वन	P956	626.964	0.5	0.031
57			तपकरा	फरसबाहार	संरक्षित वन	P934	133.258	0.5	0.007
संरक्षित वन भूमि का योग							11360.355	0.5	0.568
क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	जशपुर	जशपुर	फरसबाहार	गंझियाडीह	राजस्व वन	45	115.725	0.5	0.006
2			फरसबाहार	गंझियाडीह	राजस्व वन	335	159.302	0.5	0.008
3			फरसबाहार	गारीघाट	राजस्व वन	1/1	208.891	0.5	0.01
4			फरसबाहार	हाथीबेड़	राजस्व वन	5	170.255	0.5	0.009
5			फरसबाहार	हाथीबेड़	राजस्व वन	38	498.561	0.5	0.025
6			फरसबाहार	कंदईबहार	राजस्व वन	178	182.721	0.5	0.009
7			फरसबाहार	कंदईबहार	राजस्व वन	226	453.672	0.5	0.023
8			फरसबाहार	पुराईनबंध	राजस्व वन	103/1	146.838	0.5	0.007
9			फरसबाहार	सागजोर	राजस्व वन	22	742.744	0.5	0.037
10			फरसबाहार	सागजोर	राजस्व वन	71/1	531.298	0.5	0.027
11			फरसबाहार	सागजोर	राजस्व वन	85/1	599.441	0.5	0.03
12			फरसबाहार	सागजोर	राजस्व वन	137/1	241.286	0.5	0.011
13			फरसबाहार	सागजोर	राजस्व वन	294	1194.746	0.5	0.06
14			पत्थलगांव	लुडेग	राजस्व वन	121/1	560.818	0.5	0.028
15			पत्थलगांव	लुडेग	राजस्व वन	1/46	195.379	0.5	0.01
राजस्व वन भूमि का योग							6001.677	0.5	0.300
कुल योग							84890.122 (84.890 कि.मी.)	0.5	4.245

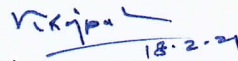
उक्त 84.89 कि.मी. लंबे तथा 0.5 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 4.245 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 3.377 हे., संरक्षित वन भूमि 0.568 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.300 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग सरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।
3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।
4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुँचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा ।
5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके ।
6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।
7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा ।
8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा ।
9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा ।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।
11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा ।
12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे ।
13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को निवेदन करेंगे ।
14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,


18.2.21

(के.पी.राजपूत)

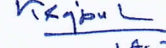
अवर सचिव

011
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठांक/क्रमांक/एफ-5-04/2020/10-2
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19/02/2021

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0), भारत सरकार,पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - 2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग.।
 - 3.मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर (छ.ग.)।
 - 4.वनमंडलाधिकारी, जशपुर वनमंडल, जशपुर (छ.ग.)।
 - 5.आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव 18-2-21

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग